nt>

Title: Need to compensate the farmers of Indo-Pak border area whose land was acquired for undertaking the fencing work.

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से चुन कर आया हूं। श्रीगंगानगर जिला भारत पाक सीमा में है। राजस्थान की सीमा में भारत-पाक सीमा में जो तारबंदी की गई थी, उस जमीन का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। किसान तारबंदी के अन्दर नहीं जा सकते हैं, उस जमीन में सिंचाई नहीं कर सकते, फसल बो और काट नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब में किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि राजस्थान में अभी तक बिल्कुल मुआवजा नहीं दिया गया है। तारबंदी के दो दायरे हैं। दोनों के बीच आई जमीन का चार करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिल गया है लेकिन तारबंदी में आई पूरी जमीन का किसानों को मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। उसे जारी किया जाए। मेरा केवल इतना ही निवेदन है।